# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 54/2022 जिला दौसा जीसीएमएस नम्बर 2022/130

1. पप्पू उर्फ रामकिशन पुत्र श्रीनारायण
2. कजोड पुत्र रामधन
3. मांगीलाल पुत्र रामलाल
4. काना उर्फ कन्हैया पुत्र भूरया (मृतक) के स्थान पर

4/1. बसन्ती पत्नि काना उर्फ कन्हैया
4/2. राहुल पुत्र काना उर्फ कन्हैया
4/3. अशोक पुत्र काना उर्फ कन्हैया
4/4. महेश पुत्र काना उर्फ कन्हैया
4/5. अनोखी पुत्रियां काना उर्फ कन्हैया
4/6. उगन्ती पुत्रियां काना उर्फ कन्हैया

समस्त जाति माली निवासी साटया की ढाणी पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. श्रीया पुत्र काल्या जाति माली निवासी पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा निर्णय दिनांक 14.06.2022**

उपस्थित—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी, वकील अपीलान्ट
2. श्री सांवतराम गुर्जर, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से

## निर्णय

**दिनांक —27.09.2023**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के निर्णय दिनांक 14.06.2022 के खिलाफ दिनांक 29.06.2022 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि जिसका खाता संख्या 149 व पुराना 151 है तथा इस संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 1044 से 1955, 1060 से 1079, 1275/1080, 1279/1081, 1281/1082, 1283/1083, 1285/1084 कुल किता 36 कुल रकबा 4.17 हैक्टेयर ग्राम पामाडी पटवार सर्किल उनबडागॉव तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 209/1275 हिस्सा है तथा उपयुक्त खातेदारी भूमि का बाहमी तौर पर बॅटवारा बजमाने बुजुर्गान सभी संयुक्त खातेदारों के मध्य में हो रहा है तथा सभी खातेदारान उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर कब्जा करके काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि के समस्त खातेदारों के मध्य सीमा सम्बन्धी संयुक्त भूमि में हिस्से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी के बुजुर्गों के मध्य हुये बाहमी बंटवारे अनुसार प्रार्थी के बुजुर्गों के समय से ही वर्तमान खसरा नम्बर 1054/3 एयर व 1055/2 ऐयर पर कब्जा चला आ रहा है तथा काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा स्वंय की कब्जे काश्त खसरा नम्बर 1053, 1054, 1055 में सीमा निर्धारित कर सीमा चिन्ह स्थापित कर रखे थे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त खसरा नम्बर 1053 लगायत 1055 की पश्चिम दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थी की भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

में कब्जा करने की गरज से पूर्व स्थापित सीमा चिन्हों को खुर्द बुर्द कर दिया गया था तथा अब अप्रार्थीगण प्रार्थी के समय सीमा विवाद उत्पन्न कर रहे थे तथा इसी कारण प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्तविक सीमा चिन्ह खसरा नम्बर 1044, 1053 से 1055 व 1060 से 1065 कुल किता 1.01 हैक्टेयर के लिये प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का उनबडागॉव द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1044, 1053 लगायत 1055 व 1060 लगायत 1065 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2019 को करके उसकी रिपोर्ट तहसीलदार साहब तहसील बसवा के समक्ष पेश कर दी गयी है तथा पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2019 से संतुष्ट है। रिपोर्ट दिनांक 17.6.2019 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी के खसरा नम्बर कब्जा शुदा 1053 लगायत 1055 के सीमा चिन्हों को खुर्द बुर्द कर दिया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी के सह खातेदार नहीं है। तथा उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1053 से 1055 से उनका कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान दिनांक 17.6.2019 के पश्चात प्रार्थी की कब्जा शुदा खातेदारी भूमि 1053 से 1055 में सीमा विवाद उत्पन्न नहीं कर सके। प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर सके तथा सभी सहखातेदारों को प्रार्थी द्वारा चाही गयी पत्थरगढी से कोई आपत्ति ही नहीं है। पटवारी हल्का उनबडागॉव द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 17.6.2019 के अनुसार ही प्रार्थी की कब्जे शुदा खातेदारी भूमि 1053 लगायत 1055 में स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) स्थापित किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी का कब्जा काश्त सहखातेदारी चाह के खसरा नम्बर 1053, 1054, 1055 किता 3 रकबा 0.21 है0 ग्राम पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा का पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.6.2019 के मध्य नजर/अनुरूप पत्थरगढी करने के निर्देश तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया गया कि तहसीलदारी विधिवत राजस्व कार्मिक टीम गठित कर भूमि उपरोक्त की पत्थरगढी करें। पत्थरगढी के समय मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था कायम रखे। आवश्यक हो तो थानाधिकारी तहसीलदार बसवा को आवश्यकता के अनुसार बसवा को आवश्यकता के अनुसार पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया।

3. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 14.6.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री पप्पू उर्फ रामकिशन पुत्र श्रीनारायण वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 14.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट स्थयी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) किये जाने बाबत प्रार्थी श्रीया पुत्र काल्या जाति माली निवासी पामाडी तहसील बसवा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि जिसका खाता संख्या नया 149 व पुराना 151 है तथा इस संयुक्त खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1044 से 1055, 1060 से 1079, 1275/1063, 1277/1080, 1279/1081, 1281/1082 1283/1083, 1285/1084 कुल किता 36 कुल रकबा 4.17 हैक्टेयर ग्राम पामोडी पटवार सर्किल उनबडागॉव तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 209/1275 हिस्सा है तथा उपयुक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का बाहमी तौर पर बंटवारा बजमाने बुजुर्गान सभी संयुक्त खातेदारों के मध्य मे हो रहा है तथा सभी खातेदारान उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर कब्जा करके काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे तथा उपरोक्त वर्णित भूमि के समस्त खातेदारों के मध्य सीमा सम्बन्धी संयुक्त भूमि में हिस्से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी के बुजुर्गों के मध्य हुये बाहमी बंटवारे अनुसार प्रार्थी के बुजर्गों के समय से ही वर्तमान खसरा नम्बर 1053/16 ऐयर,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

1054/2 एयर व 1055/2 ऐयर पर कब्जा चला आ रहा है तथा काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा स्वंय की कब्जे काश्त खसरा नम्बर 1053, 1054, 1055 में सीमा निर्धारित कर सीमा चिन्ह स्थापित कर रखे थे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त खसरा नम्बर 1053 लगायत 1055 की पश्चिम दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थी की भूमि में कब्जा करने की गरज से पूर्व स्थापित सीमा चिन्हों को खुर्द बुर्द कर दिया गया था तथा अब अप्रार्थीगण प्रार्थी के समय सीमा विवाद उत्पन्न कर रहे थे तथा इसी कारण प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्तविक सीमा चिन्ह खसरा नम्बर 1044, 1053 से 1055 व 1060 से 1065 कुल किता 1.01 हैक्टेयर के लिये प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का उनबडागॉव द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1044, 1053 लगायत 1055 व 1060 लगायत 1065 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2019 को करके उसकी रिपोर्ट तहसीलदार साहब तहसील बसवा के समक्ष पेश कर दी गयी है तथा पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2019 से संतुष्ट है। रिपोर्ट दिनांक 17.6.2019 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी के खसरा नम्बर कब्जा शुदा 1053 लगायत 1055 के सीमा चिन्हों को खुर्द बुर्द कर दिया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी के सह खातेदार नहीं है। तथा उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1053 से 1055 से उनका कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान दिनांक 17.6.2019 के पश्चात प्रार्थी की कब्जा शुदा खातेदारी भूमि 1053 से 1055 में सीमा विवाद उत्पन्न नहीं कर सके। प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर सके तथा सभी सहखातेदारों को प्रार्थी द्वारा चाही गयी पत्थरगढी से कोई आपत्ति ही नहीं है। पटवारी हल्का उनबडागॉव द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 17.6.2019 के अनुसार ही प्रार्थी की कब्जे शुदा खातेदारी भूमि 1053 लगायत 1055 में स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) स्थापित किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी का कब्जा काश्त सहखातेदारी चाह के खसरा नम्बर 1053, 1054, 1055 किता 3 रकबा 0.21 है0 ग्राम पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा का पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.6.2019 के मध्य नजर/अनुरूप पत्थरगढी करने के निर्देश तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया गया कि तहसीलदारी विधिवत राजस्व कार्मिक टीम गठित कर भूमि उपरोक्त की पत्थरगढी करें। पत्थरगढी के समय मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था कायम रखे। आवश्यक हो तो थानाधिकारी तहसीलदार बसवा को आवश्यकता के अनुसार बसवा को आवश्यकता के अनुसार पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने अपील दिनांक 14.6.2022 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 फॉलोअप शिविर भू0अ0नि0 वृत पीचूपाडा खुर्द में कायम छुपी बाबत कोई सूचना अधिनस्थ ने अपीलान्ट को जारी नहीं की न अपीलान्ट को बिना सुने व बिना जवाब दावा पेश हुये ही मनमाने तरीके से अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के उपरोक्त नहीं होने के बावजूद भी निर्णय पारित किया है। राजस्थान सरकार के द्वारा लोक अदालत गठित करते समय अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को ये आदेश दिये गये थे कि वे मौके पर दोनों पक्षकारान की समझाईस कर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही निर्णय पारित करेंगे। उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच कोई राजीनामा पीठासीन अधिकारी ने नहीं कराया उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करके कानूनी गलती की है। किसी भी न्यायालय को किसी दीगर जगह स्थापित करने के लिये राजस्थान सरकार को गजट नोटिफेशन जारी करना आवश्यक होता है कि दिनांक 14.6.2022 को यह न्यायालय पामाडी कैम्प में गॉव में स्थापित की जावेगी। दिनांक 14.6.2022 को उपखण्ड अधिकारी बांदीकुइ की अदालत को फॉलोअप शिविर भू.अ.नि. वृत पीचूपाडा खुर्द पर दिनांक 14.6.2022 को स्थापित होने बाबत कोई गजट नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपने मनमाने तरीके से कानून व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय जैर अपील पारित करके कानूनी गलती की है। निर्णय जैर अपील दिनांक 14.6.2022 किसी अदालत का निर्णय न होकर केवल उपखण्ड अधिकारी का व्यक्तिगत निर्णय है और

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

वह लोक अदालत की भावना के विपरीत है। दिनांक 14.06.2022 की प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 फॉलोअप शिविर भू0अ0नि0 वृत पीचूपाडा खुर्द की बाबत अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को कोई नोटिस जारी नही किये उक्त प्रकरण में अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी दिये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय उनक जवाब प्रा.पत्र के प्रस्तुत हुये बिना ही व बिना रिकॉर्ड पर लिये ही पारित कर दिया जो कानूनन अवैध है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। आवेदक की सैपरेट खातेदारी की भूमि नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर न करके निर्णय दिनांक 14.6.2022 पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.5.2022 को अपीलांट को जवाब हेतु दिनांक 01.07.2022 दी गयी थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 फॉलोअप शिविर भू0अ0नि0 वृत पीचूपाडा खुर्द में दिनांक 14.6.2022 को ही निर्णय पारित करके कानूनी भूल की है। इसी भूमि से सम्बन्धित अधिनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरुस्ती, इस्तकराहक का वाद अनुवानी कन्हैया बनाम श्रीया के नाम से विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.07.2022 नियत है। उक्त भूमि उक्त वाद के अधीन होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र पत्थरगढी के जो आदेश एफतरफा पारित किये है वह कानून विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदक का पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पूर्व में दिनांक 20.10.2020 को विवादित भूमि को संयुक्त खातेदारी की भूमि मानते हुये आवेदक की सेपरेट खातेदारी की भूमि नहीं मानते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लै0रे0 एक्ट पोषणीय नही होने से खारिज फरमा दिया गया था। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2022 द्वारा पत्थरगढी का आदेश कर दिया गया। पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.7.2022 को जवाब के लिए नियत थी। ना तो हमें कैम्प कोर्ट की सूचना थी, ना कोई नोटिस एवं ना हमे सूचना दी ना सुना। नियत दिनांक 1.7.2022 से पूर्व ही दिनांक 14.6.2022 को निर्णय कर दिया। पत्थरगढी के लिये प्रार्थना पत्र सिर्फ श्रीया ने लगया है। जबकि भूमि संयुक्त खातेदारी की है। कुल भूमि 4.17 हैक्टेयर, ना खातेदारों में बटवारा हुआ है। हमारी भूमि इनकी भूमि से लगती हुई है। सीमाज्ञान का तहसीलदार का आदेश देखें। तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान का सभी खसरों नं. 1044, 1053 से 1055, 1060 से 1605 किया गया है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में केवल 1053, 1054, 1055 की पत्थरगढी चाहते हैं, जबकि सीमाज्ञान पूरी भूमि का कराया गया। संयुक्त खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया। पूर्व जमाबन्दी 2043–2046 ग्राम पामाडी ख.नं. 366 किस्म गैर मुमकिन नाला ( जो (ख) भूमि जो कृषि योग्य नही है। पहिले चराई योग्य नही है। हमने खसरा नम्बर 366 जो गलत चढी है इसके विरूद्ध हमने दुरुस्ती उदघोषणा का दावा उपखण्ड अधिकारी बादीकुई में कर रखा है, जो लम्बित है। दावा लम्बित रहते 366 में नये खसरा नं 1054, 1055 की पत्थरगढी नहीं की जा सकती। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है एवं बिना जाँच, सुनवाई एवं सबूत अवसर दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बादीकुई जिला दौसा दिनांक 14.06.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बादीकुई जिला दौसा को रिमाण्ड किया जावे।

6. रेस्पॉडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि का पूर्व में दिनांक 17.06.2019 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान के मार्क/निशान को हटा दिया गया। पडौसी खातेदारान् से सीमा विवाद होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के समय पत्थरगढी किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना–देना

नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड अनुसार खातेदारी की जॉच व मौके पर कब्जे की जॉच पश्चात् ही तहसीलदार बसवा को प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया। लोक अदालत में निर्णय हुआ है। अपीलांट को सूचना नहीं होने से उपस्थित नहीं बताया है। लोक अदालत में व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाती है बल्कि न्यायालय में नोटिस चस्पा होता है। सामान्य प्रक्रिया है। पूर्व में जो प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का खारिज हुआ था वह अदम हाजरी में खारिज हुआ था ना कि Merit पर। कैम्प कोर्ट के लिए गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ऐसा प्रार्थी ने कहा है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। निर्णय क्षेत्राधिकार में किया है, किस प्रकार क्षेत्राधिकार नहीं स्पष्ट नहीं किया। प्रार्थी कहते है सिविल कोर्ट दावा लम्बित है, पर केवल दावा होने से पत्थरगढी ना हो संभव नहीं। प्रार्थी को पत्थरगढी से क्या समस्या है, स्पष्ट नहीं किया। प्रार्थी का यह कहना कि मैनें इन्द्राज दुरूस्ती को केस कर रखा है अतः दावा लम्बित रहते पत्थरगढी नहीं करें, पर इससे पत्थरगढी कैसे रूक सकती है। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पों नं. 2 ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 श्रीया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि जिसका खाता संख्या नया 149 व पुराना 151 है तथा इस संयुक्त खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1044 से 1055, 1060 से 1079, 1275/1063, 1277/1080, 1279/1081, 1281/1082 1283/1083, 1285/1084 कुल किता 36 कुल रकबा 4.17 हैक्टेयर ग्राम पामोडी पटवार सर्किल उनबडागॉव तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 209/1275 हिस्सा है तथा उपयुक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का बाहमी तौर पर बंटवारा बजमाने बुजुर्गान सभी संयुक्त खातेदारों के मध्य मे हो रहा है तथा सभी खातेदारान उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर कब्जा करके काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे तथा उपरोक्त वर्णित भूमि के समस्त खातेदारों के मध्य सीमा सम्बन्धी संयुक्त भूमि में हिस्से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी के बुजुर्गों के मध्य हुये बाहमी बंटवारे अनुसार प्रार्थी के बुजर्गों के समय से ही वर्तमान खसरा नम्बर 1053/16 ऐयर, 1054/2 एयर व 1055/2 ऐयर पर कब्जा चला आ रहा है तथा काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा स्वंय की कब्जे काश्त खसरा नम्बर 1053, 1054, 1055 में सीमा निर्धारित कर सीमा चिन्ह स्थापित कर रखे थे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त खसरा नम्बर 1053 लगायत 1055 की पश्चिम दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थी की भूमि में कब्जा करने की गरज से पूर्व स्थापित सीमा चिन्हों को खुर्द बुर्द कर दिया गया था तथा अब अप्रार्थीगण प्रार्थी के समय सीमा विवाद उत्पन्न कर रहे थे तथा इसी कारण प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्तविक सीमा चिन्ह खसरा नम्बर 1044, 1053 से 1055 व 1060 से 1065 कुल किता 1.01 हैक्टेयर के लिये प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का उनबडागॉव द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1044, 1053 लगायत 1055 व 1060 लगायत 1065 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2019 को करके उसकी रिपोर्ट तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसील बसवा के समक्ष पेश कर दी गयी है तथा पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2019 से संतुष्ट है। रिपोर्ट दिनांक 17.6.2019 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी के खसरा नम्बर कब्जा शुदा 1053 लगायत 1055 के सीमा चिन्हों को खुर्द बुर्द कर दिया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थी के सह खातेदार नहीं है। तथा उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 1053 से 1055 से उनका कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान दिनांक 17.6.2019 के पश्चात प्रार्थी की कब्जा शुदा खातेदारी भूमि 1053 से 1055 में सीमा विवाद उत्पन्न नहीं कर सके। प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं कर सके तथा सभी सहखातेदारों को प्रार्थी द्वारा चाही गयी पत्थरगढी से कोई आपत्ति ही नहीं है। पटवारी हल्का उनबडागॉव द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 17.6.2019 के अनुसार ही प्रार्थी की कब्जे शुदा खातेदारी भूमि 1053 लगायत 1055 में स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) स्थापित किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी का कब्जा काश्त सहखातेदारी चाह के खसरा नम्बर 1053, 1054, 1055 किता 3 रकबा 0.21 है0 ग्राम पामाडी तहसील बसवा जिला दौसा का पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.6.2019 के मध्य नजर/अनुरूप पत्थरगढी करने के निर्देश तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया गया कि तहसीलदार विधिवत राजस्व कार्मिक टीम गठित कर भूमि उपरोक्त की पत्थरगढी करें। पत्थरगढी के समय मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था कायम रखे। आवश्यक हो तो थानाधिकारी तहसीलदार बसवा को आवश्यकता के अनुसार बसवा को आवश्यकता के अनुसार पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी/रेस्पों. 1 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को नोटिस जारी होने के पश्चात सभी पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 14.06.2022 को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये हैं। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3,4 रहे हैं। तहसीलदार बसवा के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/1305 दिनांक 22.04.2019 की पालना में ग्राम पामाडी के ख.नं. 1044, 1503 से 1055, 1060 से 1065 कुल किता 10 रकबा 1.08 के सीमाज्ञान करने की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 17.06.2019 को मौके पर पहुंचकर खसरा नम्बर 1041, 1042, 1043 के तिमेडे से ख.नं. 1054 का उत्तरी पश्चिमी कोना कायम किया गया। इसी बिन्दु से ख.नं. 1054 का उत्तरी पूर्वी तथ दक्षिणी पश्चिमी कोना कायम किया गया। इसका सत्यापन ख.नं. 1042, 1043 व 1057 के तिमेडे से किया गया, जो सही पाया गया। ख.नं. 1044 का दक्षिणी पश्चिमी ख.नं. 1041,1042 व 1043 के तिमेडे से कायम किया गया। जिसका सत्यापन ख.नं. 1022, 1023 व 1045 के तिमेडे से किया गया। ख.नं. 1044 का उत्तरी कायम किया गया। जिसका सत्यापन ख.नं. 1024, 1025 व 1026 के तिमेडे से किया गया। इसी प्रकार ख.नं. 1044, 1053 से 1055, 1060 से 1065 कुल किता 10 रकबा 1.08 हैक्टे0 का सीमाज्ञान किया गया। एवं आवेदक को उपरोक्त नम्बरान की निशानदेही (सीमाज्ञान) करवाया गया एवं इन सभी ख.नं. 1044, 1050, 1052 व 1053 के चौमडे से मिलान करते हुये आवेदक की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश की पालना में दिनांक 17.06.2019 को पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। अपीलान्ट ने पत्थरगढी नहीं किये जाने के लिये कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है कि पत्थरगढी से उसके क्या अधिकार प्रभावित होगे ? रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 14.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/23.

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर